UPSH010008722026

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–07, शाहजहाँपुर।
प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–453/2026
CNR No.UPSH010008722026

असगर अली, आयु करीब 42 वर्ष, **पुत्र अनवर अली,** निवासी ब्रहमपुरा, थाना प्रेमनगर, जिला बरेली।

. . . प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–12/2026,
धारा–8/21/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–जैतीपुर,
जिला–शाहजहॉपुर।

दि0–16–03–2026

आवेदक/अभियुक्त **असगर अली,** मुकदमा अपराध संख्या–12/2026, धारा–8/21/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना–जैतीपुर, जिला शाहजहॉपुर के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता **इकरार अली पुत्र अकबर अली** द्वारा शपथ पत्र में वर्णित किया गया है कि वह आवेदक/अभियुक्त का सगा भाई व पैरोकार है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो दिया गया है और न ही निरस्त हुआ है। अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त कथनों के प्रतिकूल कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकमा उपनिरीक्षक इतेश तोमर द्वारा फर्द बरामदगी के आधार पर दिनॉक 04.02.2026 को थाना जैतीपुर, जिला शाहजहॉपुर पर इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि दिनांक 04.02.26 को मैं SI इतेश तोमर व HC अजय राना व HC 79 तैय्यब अली व का0 1802 नवीन कुमार के बहवाले रपट नं0 17 समय 08.14 बजे रवाना होकर तलाश वांछित अपराधी व गस्त शान्ति व्यवस्था में मामूर थे। जब लोग गस्त करते हुए फतेहगंज पूर्वी से दातागंज जाने वाले रास्ते पर ग्राम मरुआझाला मन्दिर के पास पहुंचे तो अचानक दो वाहनों स्कूटी व बाइक पर चार व्यक्ति खड़े दिखाई दिये जो हम पुलिस वालो को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। इन व्यक्तियों को बिना भागने का मौका दिये इनको वहीं मौके पर ही पकड़ लिया। पकडे गये व्यक्तियों से भागने का कारण पूछा तो इन्होंने बताया कि साहब हमारे पास नशीला पदार्थ स्मैक है, इस पर नशीला पदार्थ स्मैक होने के कारण इनको धारा 50 NDPS ACT में दिये गये प्राविधानो से अवगत कराया कि आप अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष लिवा सकते है इस पर इन्होने कहा कि जिससे आप उचित समझे इस पर मैंने अपने मोबाइल नम्बर 79063XXXXX से प्रभारी निरीक्षक जैतीपुर के CUG नं0 94544XXXXX पर पूरे घटना क्रम के सम्बन्ध में अवगत कराया तथा अपने ही फोन नं0 से श्रीमान क्षेत्राधिकारी तिलहर के CUG नं0 94544XXXXX पर समय 11.11 बजे घटना क्रम के सम्बन्ध में अवगत कराया तथा घटनास्थल पर आने का अनुरोध किया इसके बाद प्रभारी निरीक्षक व श्रीमान क्षेत्राधिकारी तिलहर महोदय घटनास्थल पर समय 11.58 बजे आये। श्रीमान क्षेत्राधिकारी तिलहर महोदय के दिशा निर्देशन में पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम अशगर अली पुत्र

Digitally signed by NUSRAT KHAN
Date: 2026.03.17 11:19:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अकबर अली नि० ब्रह्मपुरा थाना प्रेमनगर जनपद बरेली बताया, पहने लोअर की बायी जेब से एक पारदर्शी पन्नी में गेरुआ रंग का पदार्थ स्मैक बरामद हुआ तथा दाहिनी जेब से एक मोबाइल जिसका नम्बर 81262XXXXX इस फोन का IMEI नं0 867467077062001 व 867467077062019 कम्पनी Realme 13 बरामद हुआ तथा इसी जेब से 150 रुपये बरामद हुए। बरामद माल का अपनी इलेक्ट्रानिक तराजू से वजन किया तो कुल वजन 51 ग्राम पाया गया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम उमर पुत्र अनीश निवासी मो0 शाहबाद थाना प्रेमनगर जिला बरेली बताया। जामा तलाशी से पहनी लोहर की बायी जेब से 130 रूपये व दाहिनी जेब से एक मोबाइल वनप्लस नम्बर 82739XXXXX जिसका IMEI नं0 862596060452210 व 862596060452202 बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम महफूज उर्फ अयान पुत्र महसूद अहमद निवासी पुराना शहर थाना बारादरी जिला बरेली बताया। जामा तलाशी से पहनी हाफ जैकिट की जेब से पारदर्शी पन्नी में गेरूआ रंग का पदार्थ स्मैक बरामद हुआ तथा दूसरी जेब से एक मोबाइल नम्बन 93895XXXXX कम्पनी बीबो वी 23 बरामद हुआ जो स्वीच ऑफ है तथा जाकिट की जेब से एक ही नोट 100 रूपये का बरामद हुआ। बरामद माल का वजन अपनी उ0नि0 किट से तोला गया तो कुल वजन 49 ग्राम बरामद हुआ तथा चौथे व्यक्ति ने अपना नाम अलतमश पुत्र शहीद अहमद निवासी मो0 शाहबाद थाना प्रेमनगर जनपद बरेली बताया। जामा तलाशी से पहने कुर्ते की बायी जेब से एक मो0 नं0 74510XXXXX जिसका IMEI नं0 356689112123609 व 356689111877759 कम्पनी एप्पल प्रो0 व इसी जेब से 120 रूपये बरामद हुए तथा बरामद बाइक जिसका नं0 यू0पी025डब्लू0–2377 हीरो स्पेण्डर प्लस को अपने चालान एप से चैक किया तो वाहन स्वामी का नाम असगर अली पुत्र अकबर अली निवीास मो0 ब्रहमपुरा बरेली का नाम दर्ज है। पकड़े गये व्यक्ति से कागजात तलब किये तो दिखाने में कासिर रहा तथा स्कूटी के वाहन स्वामी का नाम उमर अंसारी पुत्र अनीश अंसारी नि0 शाहबाद बरेली है। कागजात तलब किये तो दिखाने में कासिर रहा। दोनों वाहनों को अपने चालान एप से मौके पर ही सीज किया गया। मौके पर ही सील सर्वेमोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। गिरफ्तारी के समय जनता के आने जाने वाले व्यक्तियों से गवाही के लिए कहा तो नाम पता नहीं बताया और चले गये अभियुक्तों से यह माल कहां से लाये है, के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो बताया कि यह माल हम जाकिर पुत्र नामालूम नि० वार्ड 14 मो० असारी फतेहगंज पश्चिमी बरेली व सारिक पुत्र नामालूम निवासी गुलड़िया थाना मीरगंज बरेली से लेकर आये थे और एक व्यक्ति यहॉ पर आने वाला था जिसकी हम लोग यहाँ पर इन्तजार कर रहे थे और आप लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों व उनके साथियों से विस्तृत पूछताछ थाने पहुंचकर की जायेगी। पकड़े गये व्यक्तियों को उनके जुर्म धारा 8/21/29 NDPS ACT से अवगत कराते हुए समय 12.05 हिरासत पुलिस में लिया गया। मौके पर ही धारा 105 BNSS के अन्तर्गत आडियो एवं वीडियोग्राफी करते हुए ई–साक्ष्य ऐप से SID नं0 2622696222841631 बनायी गयी है तथा गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय एव मानवाधिकार आयोग के आदेश व निर्देशों का पूर्ण पालन किया गया फर्द मौके पर मुझ उ0नि0 के द्वारा तैयार की गयी हमराहीयान को पढ़कर सुनाकर गवाही हेतु अलामात बनवाये गये गिरफ्तारी की सूचना थाने पहुंचकर इनके परिजनों को द्वारा उचित माध्यम से दी जायेगी। बरामद स्कूटी का नं0 UP25EL 3486 है तथा वाहनों धारा 207 एम०वी० एक्ट में सीज किया गया। फर्द की एक प्रति अभियुक्तों की सहमति से अभियुक्त असगर अली को दी गयी, सभी के फर्द पर अलामात बनवाये गये।

4– मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष अभियोजन (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से न्याय से पलायन करने एवं साक्ष्य खण्डन करने की कोई भी संभावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व दण्डित अपराधी नहीं है और न ही कोई पूर्व आपराधिक इतिहास है। कथित गिरफ्तारी के समय कोई भी जनता का गवाह नहीं है, जबकि घटना दिन के समय 11:58 बजे की बतायी जा रही है। गिरफ्तारी के समय एन0डी0पी0एस0 एक्ट के

प्रावधानों का समूचित पालन नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में संदिग्ध माल को सील करते समय कोई भी सैम्पल टेस्टिंग के लिए निकालने का कथन नहीं किया गया है, जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रार्थी/अभियुक्त की पैरवी करने वाला तथा परिवार की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त ने दिनांक 04.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः आवेदक/अभियुक्त को दौरान विचारण मुकदमा जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया गया।

6– विद्वान विशेष अभियोजन (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से 51 ग्राम स्मैक नशीला पदार्थ बरामद हुआ है तथा वह नशीले पदार्थ का कारोबार करता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

7– अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त **असगर अली** की जामा तलाशी से 51 ग्राम स्मैक पाया गया, जो **केन्द्रीय सरकार के नोटिफीकेशन का. 1055 (ई0) दिनांक 19.10.2001 केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की सारणी में इन्द्राज संख्या 56 में अल्प मात्रा (5 ग्राम) से अधिक किन्तु वाणिज्यिक मात्रा (250 ग्राम) से कम है।** आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रकरण से संबंधित समस्त साक्षीगण पुलिस बल के सदस्य हैं, जिन्हें प्रभावित किये जाने की संभावना नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 04.02.2026 से जिला कारागार, शाहजहॉपुर में निरूद्ध है। विद्वान विशेष अभियोजक द्वारा आवेदक/अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। सह–अभियुक्तगण उमर एवं अलतमश की जमानत इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2026 तथा महफूज उर्फ अयान की जमानत दिनांक 27.02.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुण दोष पर विचार करते हुए न्यायालय की राय में आधार जमानत पर्याप्त है एवं आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **असगर अली,** द्वारा मु0अ0सं0 12/2026, अन्तर्गत धारा 8/21/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना जैतीपुर, जिला शाहजहॉपुर के अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त **असगर अली,** द्वारा **रूपये 75,000/– (पिछहत्तर हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो पर ज़मानत पर रिहा किया जाये।

1– आवेदक/अभियुक्त घटना से अवगत साक्षियों को डरायेगा–धमकायेगा नहीं तथा मामले के अनुसंधान तथा विचारण में सहयोग करेगा।

2– विचारण के दौरान आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा मामले के विचारण में विलम्ब कारित नहीं करेगा।

3– विचारण के दौरान साक्षियों की उपस्थिति होने पर आवेदक/अभियुक्त अनावश्यक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामले को विलंबित नहीं करेंगे।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक–16–03–2026

(नुसरत खान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–07, शाहजहॉपुर।
ID–UP1604